सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2016/00101

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 40/2016

1. जग्गाराम पुत्र गुलजार राम जाति बांवरी साकिन खाटसजवार तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. गुरबचन सिंह पुत्र श्री अरजन सिंह जाति बांवरी निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सन्तराम पुत्र श्री अरजन सिंह जाति बांवरी निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. चन्द्रवती पुत्री श्री अरजन सिंह जाति बांवरी निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. करतारो पत्नी श्री अरजन सिंह जाति बांवरी निवासी खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. सोहन सिंह पुत्र वरयाम सिंह जाति बांवरी निवासी वार्ड नम्बर 04, टीबी तहसील व जिला हनुमानगढ सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. मोहन सिंह पुत्र वरयाम सिंह जाति बांवरी निवासी गोपाराय तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।
8. निहाल कौर पुत्री वरयाम सिंह जाति बांवरी निवासी टीबी तहसील वा जिला हनुमानगढ।
9. वीर सिंह पुत्र वरयाम सिंह जाति बांवरी निवासी टीबी तहसील वा जिला हनुमानगढ।
10. छिन्द्र कौर पुत्री वरयाम सिंह पत्नी बलवन्त सिंहजाति बांवरी निवासी टीबी तहसील वा जिला हनुमानगढ।
11. सरजीत कौर पुत्री वरयाम सिंह जाति बांवरी निवासी टीबी तहसील वा जिला हनुमानगढ।
12. ईशर राम पुत्र भजन सिंह जाति बांवरी निवासी 11 के डब्बलू एम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
13. धनकौर पुत्री भजन सिंह जाति बांवरी निवासी 1 एलपी समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
14. बलवीर कौर पुत्री वरयाम सिंह पत्नी उतमनाथ जाति बांवरी निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
15. पालकौर पुत्री वरयाम सिंह पत्नी गुरदयाल जाति बांवरी सा 41 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
16. तेजकौर पुत्री वरयाम सिंह पत्नी सन्तोख बांवरी निवासी डाबाझलार तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्टस

"अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार सादुलशहर दिनांक 09.05.2016 "

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उपस्थित :

1.श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री चरणदास कम्बोज अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश ::

दिनांक :– 07.08.2019

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि गुलजारी लाल को बतौर नान कलेमेन्ट पर गांव खाटसजवार तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 17 में 4.301 हैक्टर हाल आबाद चक 9 एसडीएम व चक 7 एसडीएस ए तहसील सादुलशहर का मुरब्बा नम्बर 46 में किला नम्बर 02 का 1.00 बीघा मुरब्बा नम्बर 47 का किला नम्बर 4,5,6,15,16,25 में 6 बीघा रकबा अलाट किया गया। अलाटमेंट में गुलजारी लाल खुद, अरजन राम लड़का,किसनो पत्नी, जगाराम लड़का, प्यारी लड़की धन्नो लड़की उपरोक्त 6 जीवों के आधार पर रकबा अलाट किया गया जिसमें प्रत्येक का 1/6 हिस्सा रकबा है अभी तक इस रकबा की खातेदारी सनद जारी नहीं हुई है। अपीलांट का पिता मरने के बाद उपरोक्त रकबा का वारिसान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनांक 16.06.1988 को उतराधिकारी घोषित करने का आदेश दिया गया जिसके खिलाफ रेस्पोडेटान के पिता ने अपील सैटलमेंन्ट कमीशनर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 31.03.1990 को रिमाण्ड की गई बाद में जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा अरजन राम का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया इसी बीच में डीपीसी एण्ड आर एक्ट रिलीप होने के कारण कार्यवाही समाप्त कर दी अब बिना किसी आधार पर अपीलांट का नाम इन्तकाल में खारिज करने का आदेश दिया गया है रकबा अपीलांट के नाम खारिज हो जाता है तो जमीन गुलजारी लाल पुत्र वजीरा राम के नाम दर्ज की जा सकती थी मगर बिना किसी आधार पर अपीलांट का नाम इन्तकाल खारिज कर दिया। बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलांट को सुने ही इन्तकाल खारिज करने का आदेश पारित किया। लिहाजा अपील स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.05.2016 को निरस्त करके अपीलांटान का नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता गुलजारीलाल पुत्र वजीराराम को हिन्द–पाक विभाजन पर भारत सरकार के पुनर्वास विभाग से गांव खाटसजवार तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 17 के 4.301 हैक्टर जो कि वर्तमान में चक 9 एसटीएस व चक 7 एसटीएस ए में भूमि स्थित है। कुल 18 बीघा जीवों के आधार पर अलाट किया गया, जिसमे 1. गुलजारीलाल स्वयं, 2 अर्जन लडका, 3 किशनों पत्नी, 4. जग्गाराम लड़का, 5. प्यारो लड़की, 6. धन्नो लड़की कुल 6 जीव थे, जिनके आधार पर रकबा अलाट किया गया। अलाटमेंट के आधार पर प्रत्येक जीव का 1/6 हिस्सा बना। अपीलांट के पिता गुलजारा का देहांत हो गया तथा अपीलांट की माता का स्वर्गवास हो चुका है जिस जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 16.06.1988 को गुलजारा के उतराधिकारी घोषित किये गये, जिसके अनुसार अर्जुनराम 5/16, प्यारो बाई 5/16 हिस्सा, धन्नो 1/16 हिस्सा तथा अपीलांट का क5/16 हिस्सा घोषित किया गया। चकबन्दी होने पर उपरोक्त रकबा दो

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

चकों में आया। पारिवारिक समझौता के अनुसार विभाजन में चक 9 एसडीएस के पत्थर नम्बर 55/135, मु0न0 15 में किला नम्बर 6,14,24,25 व पत्थर नम्बर 56/135 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 10,19,20,21,22 व मुरब्बा नम्बर 20 व चक 7 एसडीएस तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 20, मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 4,5,6,15,16,25 का पारिवारिक समझौता किया गया तथा उपरोक्त रकबा गुलजाराराम के वारिसान के नाम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2016 को चक 9 एसडीएस का जो विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया , वह बिना किसी प्रकार की कानूनी प्रकिया अपनाये, बिना अपीलांट को बुलाये सुने खारिज करके अर्जन पुत्र गुलजारी के नाम दर्ज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.05.2016 को निरस्त करके अपीलांटान का नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट को बार–बार आवाजे लगाने के बावजूद उपस्थित नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि विवादित इंतकाल आदेश दिनांक 09.05.2016 न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश एवं प्राधिकृत सैटलमेन्ट कमिश्नर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 31.03.1990 एवं पूर्व आदेश दिनांक 16.06.1988 की पालना में निरस्त किया गया है। जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सादुलशहर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर